न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/186
मिसल नम्बर–51/2025

1. मोडू लाल पुत्र श्री केसरीलाल आयु– 46 साल निवासी नयागांव रावतभाटा रोड, कोटा राज0

–व

ादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री लटूरलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान
   1/1– रामकन्या बाई बैवा मोहनलाल
   1/2– देवकिशन पुत्र श्री स्व0 मोहनलाल
   1/3– शिवराज पुत्र श्री स्व0 मोहनलाल निवासीगण खेड़ा रसूलपुर तहसील लाडपुरा
   जिला कोटा 325001 राज0
   1/4– चन्द्रकला बाई पत्नि श्री जगदीश जी निवासी ग्राम नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा 325001
   1/5– सन्जू बाई पत्नि रामेश्वर निवासी ग्राम चारचोमा तहसील दीगोद जिला कोटा
   325203
2. चौथमल पुत्र श्री लटूरलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान
   2/1– सीता बाई बैवा चौथमल
   2/2– देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चौथमल निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
   2/3– राज बाई पत्नी पृथ्वीराज पुत्री चौथमल जी निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा
   जिला कोटा राज0
   2/4– मृतक निहाल बाई पत्नि श्री रामचन्द्र जर्ये कायम मुकामान
   2/4/1–सुरेन्द्र आत्मज रामचन्द्र(पति)
   2/4/2– निशा पुत्री रामचन्द्र
   2/4/3– मोनिका पुत्री रामचन्द्र
   2/4/4– ज्योति पुत्री रामचन्द्र निवासीगण जामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
   2/5– माना बाई पत्नि गिर्राज निवासी नन्दपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   2/6– सावित्री बाई पत्नि सत्यनारायण निवासी फाटाखेडा तहसील लाडपुरा कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2/7– गायत्री बाई पत्नि बल्लू जी निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3. देवलाल पुत्र लटूरलाल
4. किशन गोपाल पुत्र लटूरलाल निवासीगण खेडा रसूलपुर जिला कोटा राज0
5. भैरूलाल पुत्र केसरीलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान
   5/1– बुद्धि प्रकाष उर्फ बन्टी पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति गुर्जर
   5/2– अनुपमा पुत्री श्री भैरूलाल जी जाति गुर्जर
   5/3–श्रीमती धनकवंर पत्नि श्री भैरूलाल जी जाति गुर्जर
   निवासीगण– गुर्जरों का मोहल्ला पन्नालाल जी वार्ड के मकान के पास, शिवपुरा भीतरिया कुण्ड कोटा राज0
6. छोटी बाई पुत्री केसरीलाल
7. रतन बाई पुत्री केसरीलाल निवासीगण नयागांव रावतभाटा रोड, कोटा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक – 21.04.2025

पत्रावली वास्ते आदेष प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

1. वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री रोडू जी गुर्जर निवासी ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की एक कृषि भूमि खसरा नंबर 59 की 22 बीघा 8 बिसवा, खसरा नम्बर 145 की 5 बीघा 12 बिसवा तथा खसरा नम्बर 319 को 2 बीघा 13 बिसवा कुल 30 बीघा 13 बिसवा ग्राम खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी। श्री रोडू जी के देहांत के बाद उनके तीन पुत्र लटूर, प्रताप, केसरा मालिक हुये, जिनके नाम इंतकाल तस्दीक किया गया तथा तीनों पुत्र के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किये गये अर्थात तीनों पुत्रों का बराबर का हिस्सा कायम किया जाकर खातेदार घोषित किया गया।

2. यह कि प्रताप अविवाहित लाओलाद फौत हो गया। श्री रोडू जी की पत्नी भी फौत हो चुकी है तथा रोडू जी के पुत्र केसरीलाल जी फौत हो चुके है तथा वादी केसरी लाल का पुत्र है। प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 केसरीलाल जी के पुत्र–पुत्रियाँ है अर्थात वादी के भाई बहन है, केसरीलाल जी का इनके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। लटूर जी भी फौत हो चुके है और प्रति नं० 1, 2, 3, 4 लटुर जी के वारिस है।

3. यह कि पूर्व में एक वाद बाबत बंटवारा भैरूलाल आदि बनाम मोहनलाल वादी मुकदमा नं0 239/85 चला था, जिसमें दि० 26.08.1985 को डिक्री पारित हुयी थी, परंतु उक्त वाद में मृतक प्रताप के हिस्से की कोई डिक्री पारित नहीं हुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

थी। जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रताप का 1/3 हिस्सा था। चूंकि प्रताप अविवाहित था। एवं लाओलाद फौत हो गया था, इस कारण उसके हिस्से की भूमि अर्थात 1/3 हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी के बीच विभाजित किया जाना आवश्यक है। व इस प्रकार कुल आराजी 30 बीघा 13 बिसवा में वादी तथा प्रतिवादी के बीच नये सिरे से बंटवारा किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि नामान्तरण सं० 146 दि० 23/3/1999 के जरिये रेवेन्यु रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित आराजियात के खसरा नंबरान एवं रकबा बदल कर खसरा नम्बर 154 की 3.69 हे0 खसरा नम्बर 447 की 0.26 हे0 खसरा नम्बर 455 की 0.15 हे0 खसरा नम्बर 515 की 0.58 हे0 तथा 516 की 0.24 है0 आराजी को भेरूलाल, मोडू लाल, छोटी बाई, रतन बाई तथा केसर बाई का 1/2 हिस्सा तथा मोहन, चौथमल, देवलाल, किशनगोपाल तथा हीरा का 1/2 हिस्सा दर्शाया गया है। (केसर बाई तथा हीरा की मृत्यु हो चुकी है।) इस हिस्से में से मृतक प्रताप के हिस्से को नहीं दर्शाया गया है।

5. यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादी से मौखिक रूप से कहा कि वह मिल बैठकर उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर ले, लेकिन उनके द्वारा वादी की कोई सुनवाई नहीं की गयी

प्रार्थना है कि खसरा नंबर 154 की 3.69 हेक्टर, ख.नं. 447 को 0.20 हे0 ख.नं. 455 की 0.15 हेक्टर, ख.नं. 515 की 0.58 हे0 तथा ख.नं. 516 को 0.24 हे0 कृषि भूमि स्थित ग्राम खेड़ा तह लाड़पुरा जिला कोटा के संबंध मे वादी तथा प्रतिवादीगण के बीच बंटवारे की डिक्री प्रदान फरमाई जाये तथा डिक्री अनुसार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश प्रदान फरमाये जायें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

- ग्राम खेड़ा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में निम्न विवरण की 30 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी जो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में लटूर, प्रताप, केसरा पिसरान रोडू जी जाति गूर्जर निवासीगण खेड़ा के खाते में दर्ज थी। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

खसरा नं०	रकबा
59	22 बीघा 8 बिस्वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

145	5 बीघा 12 बिस्वा
319	2 बीघा 13 बिस्वा
कुल 3 किता की 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि	

- लटूर जी, प्रताप जी, केसरा जी तीनों सगे भाई थे जो रोडू जी गूर्जर के पुत्र थे। प्रताप जी कुंवारे एवं लाऔलाद थे। प्रताप जी का लगभग 60 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। प्रताप जी की मृत्यु के पश्चात् उनके दोनों भाई उनके हिस्से की भूमि के सम्भाग से उत्तराधिकारी हुये प्रताप जी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से डिलिट किया गया था।

- केसरा जी का लगभग 22 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। केसरा जी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 7 क्रमशः उनके पुत्र व पुत्रियां है। लटूर लाल जी की स्वर्गवास हो चुका है। लटूर जी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र होने से प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 है। लटूर लाल जी की पत्नी हीरा बाई का स्वर्गवास हो चुका है। हीराबाई प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 की माता थी। हीरा बाई के उत्तराधिकारी उसके पुत्र होने से प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 है।

- वादी एवं प्रतिवादी नं. 5 भैरू लाल ने पूर्व में विभाजन आराजी एवं बेदखली आराजी का दावा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 एवं उनकी माता श्रीमती हीरा बाई विधवा पत्नी श्री लटूरलाल जी के विरूद्ध दिनांक 11–7–1985 को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया था कि ग्राम खेड़ा तहसील लाड़पुरा में 30 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है जो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में भैरू लाल, मोडू लाल (वादीगण) एवं मोहन लाल, चौथमल, देव लाल, किशनगोपाल एवं श्रीमती हीराबाई प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सम्भाग से 1/2, 1/2 हिस्सा है। उक्त वाद में दिनांक 23–8–1985 को राजीनामा निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया था

  (1.) "कि वादीगण के हिस्से में वाद ग्रस्त आराजी में से खसरा नं. 145 की 5 बीघा 12 बिस्वा लूनिया वाला खेत तथा खसरा नं. 59 की 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा भूमि पश्चिम की तरफ की धाकड़ वाले खेत के सहारे की रहेगी तथा शेष सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के रहेगी।"

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(2) "कि पक्षकारों ने उक्त राजीनामे के अनुसार अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिसके अनुसार पक्षकारो के खाते अलग–अलग दर्ज कर दिये जावे।"

(3) "कि पक्षकारों ने उक्त राजीनामा इस आधार पर किया है कि पूर्व में संयुक्त परिवार की सम्पति में समस्त मवेशियान (गाय, बैल, भैस) वादीगण के पिता को प्राप्त हुई थी तथा कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से में थी।"

➢ पक्षकारान प्रस्तुत उक्त राजीनामा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय कोटा द्वारा तस्दीक फरमाया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा बरूऐ राजीनामा निम्न आशय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–8–1985 को पारित फरमाया गया था।

"कि इस भूमि में से वादीगण (भैरूलाल, मोडूलाल) के हिस्से में खसरा नं. 145 की 5 बीघा 12 बिस्वा लूनिया वाला खेत तथा खसरा नं. 59 की 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा भूमि पश्चिम की तरफ की धाकड़ वाले खेत के सहारे की भूमि रहेगी।"

"कि शेष भूमि खसरा नं. 59 की 16 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नं. 319 की 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगणनं. 1 से 5 (मोहनलाल, चौथमल, देव लाल, किशन गोपाल व श्रीमती हीराबाई) के हिस्से में रहेगी।"

➢ यह कि कानून की जानकारी नहीं होने से राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर अमल नही करवाया जा सका था परन्तु जैसा कि राजीनामा में उल्लेख किया गया था पक्षकारान बरूये राजीनामा में विभाजन में प्राप्त भूमि पर तनहा रूप से काबिज हो गये थे तथा उक्त राजीनामा से ही प्रतिवादीगण उन्हे विभाजन में प्राप्त भूमि पर तनहा रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। इस प्रकार पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को एक्ट अप ओन कर लिया था अतः वादीगण उक्त राजीनामा से पाबन्द है।

➢ कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 5 से 7 के पिता श्री केसरी लाल जी का लगभग 21–22 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी मोडू लाल एवं प्रतिवादी भैरूलाल ने विभाजन आराजी का दावा सामान्य सहायक समाहर्त्ता एवं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्यपालक दण्डनायक मुख्यालय कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 26–8–1985 को बरूये राजीनामा निर्णित किया गया था। जिसकी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पूर्ण जानकारी थी उक्त निर्णय एवं डिक्री से वादीगण एवं प्रतिवादीगण पाबन्द है तथा इसके विपरीत कथन करने से विबन्धित (एस्टोप्ड) है। वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर, गलत तथ्यों को बताकर केसरा जी का फौती नामान्तरकरण सम्पूर्ण 4.92 हैक्टर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में 1/2 हिस्से का अपने एवं प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 7 के पक्ष में नामान्तरकरण सख्या 146 दिनांक 26–8–1998 को तस्दीक करवा लिया जो सर्वथा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है तथा समक्ष राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के सर्वथा विपरीत है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन है।

- पक्षकारान के मध्य दिनांक 26–8–1985 को पारित निर्णय एवं डिक्री के अनुसार शामलाती खाते की सम्पूर्ण 30 बीघा 13 बिस्वा भूमि का विभाजन हो चुका है। प्रताप जी के हिस्से की भूमि का भी विभाजन हो चुका है। अतः वादी द्वारा पुनः नये सिरे से विभाजन हेतु प्रस्तुत यह दावा पोषनीय नही है एवं खारिज होने योग्य है। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी अतः उक्त निर्णय एवं डिक्री फाईनल हो चुका है तथा वादी इसके विपरीत कथन करने से विबन्धित है।

जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7 के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 23–3–1999 ग्राम खेड़ा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा निरस्त फरमाया जावे तथा पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–8–1985 के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमायी जावे तथा अन्य सहायता जो न्याय सगत हो वह प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को प्रदान फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा जवाब का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–

- डिग्री दिनाक 26–8–1985 के अनुसार भैरूलाल, मोडूलाल, छोटी बाई, रतन बाई तथा केसर बाई का 1/2 हिस्सा तथा मोहन, चौथमल, देवलाल, किशन गोपाल तथा हीरा का 1/2 हिस्सा रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज कर अमल दरामद हुआ है। परन्तु दिनांक 26–8–1985 के निर्णय में प्रताप (मृतक) के 1/3 हिस्से का हवाला दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नही है। जिसका विभाजन किया जाना आवश्यक था। प्रताप लाऔलाद फौत हो गया था।

➢ प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे की विशेष आपत्तियो की मद नम्बर–13 में कथन व काउन्टर क्लैम बाबत लिखा है। स्वीकार नहीं है। दिनाक 26–8–1985 की डिक्री को गलत बतलाते हुये प्रतिवादीगण अब उसे निरस्त करने की बात लिख रहे है। जो टाईम बार्ड हो चुकी है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के ज्ञान में उक्त डिग्री का तथ्य मौजूद था फिर भी उनके द्वारा उसे चैलेंज नहीं किया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 23–3–1999 भी प्रतिवादीगण के ज्ञान मैं था वह भी प्रतिवादीगण द्वारा चैलेंज नहीं किया गया जो टाईम बार्ड हो चुका है। इस कारण प्रतिवादीगण काउंटर क्लैम का कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

- ✓ वादी तथा विद्वान अभिभाषक वादी की अनुपस्थिति के कारण 20.11.2020 को हस्तगत वाद खारिज कर दिया गया।
- ✓ प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के प्रार्थना पत्र पर कि उनका काउन्टर क्लेम डिसाईड किए बिना अदम हाजारी मे प्रकरण खारिज कर दिया जबकि वे लगातार उपस्थित हो रहे थे। अतः पत्रावली रिस्टोर कर उनका काउन्टर क्लेम निर्णित किया जावे।
- ✓ प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली रिस्टोर कर पुनः नम्बर पर ली गई।
- ✓ प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।
- ✓ किषन गोपाल द्वारा बयान दर्ज करवाकर निवेदन किया कि "मेरे द्वारा काउंटर क्लेम के साथ प्रदर्ष ए 1 प्रमाणित प्रतिलिपि वाद पत्र न्यायालय सामान्य सहायक समाहर्ता कोटा बउनवानी मुकदमा भैरूलाल बनाम मोडूलाल प्रस्तुत किया है। प्रमाणित प्रतिलिपि राजीनामा दिनांक 23.08.1985 पेश किया गया है जो प्रदर्श ए 2 है। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.1985 न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा बउनवानी मुकदमा भैरूलाल बनाम मोडूलाल प्रकरण संख्या 239/84 प्रदर्श ए 3 है। प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 146 प्रदर्श ए 4 है। प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 2057 प्रदर्श ए 5 व ए 6 है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2016 से 2024 प्रदर्श ए 7 है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 प्रदर्श ए 8 है।"
- ✓ बहस एकपक्षीय सुनी गई ।
- ✓ हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

✓ पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि भैरूलाल व मोडूलाल द्वारा वाद बाबत बॅटवारा न्यायालय सहायक समाहर्ता कोटा मे प्रस्तुत किया गया था (प्रदर्ष ए1)। उक्त वाद मे उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया था (प्रदर्ष ए2)। उक्त राजीनामे के आधार पर न्यायालय आदेश दिनांक 26.08.1985 से वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया था (प्रदर्ष ए3)।

✓ संलग्न जमाबंदी संवत 2016 से 2024 (प्रदर्ष ए7) से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी लटूर, प्रताप व केसरा पिसरान रोडू के खाते दर्ज रिकोर्ड थी। संलग्न जमाबंदी संवत् 2028–31 (प्रदर्ष ए8) से यह भी प्रमाणित है कि इन्तकाल नम्बर 96 से खाते से प्रताप का नाम खारिज कर दिया गया था। तथा विवादग्रस्त आराजी पर केसरा व लटूर के वारिसान का नाम ही शेष रह गया था।

✓ (प्रदर्ष ए1) मे वादीगण द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी केसरीलाल व लटूर के वारिसान के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है। इस स्थिति मे प्रस्तुत नवीन वाद मे यह कथन किया जाना कि पूर्व वाद मे प्रताप के हिस्से को निर्धारित नही किया, बिल्कुल ही न्यायसंगत नही माना जा सकता।

✓ वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे उभयपक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद पूर्व मे ही समकक्ष न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिए जाने के कारण पुनः समान भूमि पर समान पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद लाने से वादीगण कानूनन स्टोप्ड है। तथा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही है।

✓ उक्त परिस्थितियों मे जबकि पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि–

- खातेदार प्रताप का देहान्त पूर्व मे ही हो चुका था, तथा प्रताप का नाम नियमानुसार जमाबंदी से खारिज कर दिया गया था।
- न्यायालय सहायक समाहर्त्ता कोटा मे विभाजन का वाद 11.07.1985 को जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान को पक्षकारान बनाकर ही प्रस्तुत किया गया था
- न्यायालय सहायक समाहर्त्ता कोटा द्वारा उक्त वाद उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामे के आधार पर 26.08.1985 को डिक्री किया गया था।
- उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है कि दिनांक 26.08.1985 को न्यायालय सहायक समाहर्त्ता कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी अपील किसी भी सक्षम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय मे नही की गई है। इस कारण न्यायालय सहायक समाहर्त्ता कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.1985 अंतिम है।

- वादीगण द्वारा मृतक खातेदार प्रताप के हिस्से को पुनः निर्धारित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रताप का नाम जमाबंदी संवत् 2028–31 मे ही इन्तकाल नम्बर 96 की पालना मे खारिज कर दिया था, तथा विभाजन का वाद 1985 मे काफी समय पश्चात प्रस्तुत किया गया था।

हम प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकेर किया जाना न्यायोचित पाते है।

- ✓ अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर आदेष दिए जाते है कि न्यायालय सहायक समाहर्त्ता कोटा द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन के संबंध मे पारित निर्णय दिनांक 26.08.1985 के अंतिम होने के कारण निर्णय दिनांक 26.08.1985 की पालना की जावे तथा निर्णय दिनांक 26.08.1985 अनुसार राजस्व रिकार्ड मे उभयपक्षकारान के हिस्सों का अंकन किया जावे।
- ✓ निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।
- ✓ डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।
- ✓ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान